

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.189)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी- 1006

दिनांक: 3-9-2014


जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 189वीं बैठक दिनांक 27.08.2014 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	189:1	कार्यकारी समिति की 188वीं बैठक दिनांक 31.07.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 188वीं बैठक दिनांक 31.07.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।	
2.	189:2	कार्यकारी समिति की 188वीं बैठक दिनांक 31.07.2014 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 188वीं बैठक दिनांक 31.07.2014 में लिए गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट की समीक्षा की गई तथा संतोष व्यक्त किया गया।	
3.	189:3	Regarding Approval of Tender for the work :- Strengthening & renewal of Kalwar road, Janak Marg, Anjani Marg & Main roads of Zone-west, JDA, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात Maintenance Zone-West की कालवाड रोड, जनक मार्ग, अंजनी मार्ग व मुख्य सडकों पर Strengthening & renewal कार्य हेतु मैसर्स श्री मुरारी लाल अग्रवाल के पक्ष में 'जी' शिड्यूल राशि पर 5.99 प्रतिशत अधिक पर राशि 9,14,32,442.00 को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
4.	189:4	मदरामपुरा कच्ची बस्ती से वर्ष 2012 में बाढ़ पीड़ित परिवारों को जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना में आवासों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात मदरामपुरा कच्ची बस्ती में वर्ष 2012 के बाढ़ पीड़ित 61 परिवारों को जविप्रा की गोविन्दपुरा, सांगानेर आवासीय योजना के भूखण्डधारियों को जारी संशोधित आवंटन पत्र में उल्लेखित राशि मय	उपायुक्त जोन-8

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			ब्याज पेनल्टी के जमा कराने के पश्चात नियमित करने का निर्णय लिया गया। तथा यह भी निर्णय लिया गया कि नियमन करते समय राजस्थान इम्पुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के नियम 17(5)(II) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई करना भी सुनिश्चित किया जावे।	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
5.	189:5	प्राधिकरण स्तर से पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट देकर पदोन्नति दिये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात पूर्व में कार्यकारी समिति के एजेण्डा आईटम संख्या 186:3, 186:4, 186:6, 187:14 एवं 187:23 में अनुभव में छूट की पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को अनुभव में छूट देने के लिए राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजने का जो निर्णय लिया गया था, में आशिक संशोधन करते हुये राज्य सरकार के स्थान पर आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को ही छूट हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
6.	189:6	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. ए-134, बी-131, बी-145, बी-334, बी-368, सी-119, सी-480, डी-128, डी-155, डी-431, ई-338, एफ-122, एफ-134, एफ-478, जी-107, जी-229, जी-329, एफ-368, जी-393, एच-83,	विचार विमर्श पश्चात कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. ए-134, बी-131, बी-145, बी-334, बी-368, सी-119, सी-480, डी-128, डी-155, डी-431, ई-338, एफ-122, एफ-134, एफ-478, जी-107, जी-229, जी-329, एफ-368, जी-393, एच-83, एच-422, एच-558, एच-563, आई-7,	उपायुक्त जोन-13ए


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		एच-422, एच-558, एच-563, आई-7, जे-80 के नियमितिकरण के संबंध में।	जे-80 के आवंटियों द्वारा भूखण्ड की नजराना राशि विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण निरस्त हुए आवंटन को विलम्ब अवधि के लिए देय ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर भूखण्ड का आवंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया।	
7.	189:7	Regarding Approval of Tender for the work:- Various beautification work for improvement of Footpath, Circle & Junction in Maintenance Cell JDA Jaipur (RC)	विचार विमर्श पश्चात Maintenance Zone के Various beautification work for improvement of Footpath, Circle & Junction कार्य हेतु मैसर्स निरानिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से किये गये नेगोशियेशन की कार्यान्तर स्वीकृति एवं बोलीदाता के पक्ष में BSR के 'G' Schedule से अधिक 23.90 प्रतिशत पर कुल राशि रुपये 6,10,26,111.00 का टेण्डर स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
8.	189:8	अमानीशाह नाले के सर्वे कार्य हेतु मैसर्स रॉयल टेक्नोकटस् के कायदेशों को Withdraw/Rescind करने हेतु।	विचार विमर्श पश्चात प्रस्ताव अनुसार अमानीशाह नाले के सर्वे कार्य हेतु मैसर्स रॉयल टेक्नोकटस् के कायदेश को बिना किसी शास्ति के Withdraw किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
9.	189:9	Regarding Approval for Counter offer & tender approval for the work:- Improvement of road junction & Circle by Mastic Asphalt work in Maintenance Cell Area JDA Jaipur (RC)	विचार विमर्श पश्चात Maintenance Zone के Improvement of road junction & Circle by Mastic Asphalt work हेतु बीएसआर पर 61.92 प्रतिशत की अधिक की दर से राशि रुपये 4,68,66,934.00 का काउन्टर ऑफर प्रथम बोलीदाता एवं समस्त को जारी करने की स्वीकृति दी	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)



सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			गई। बोलीदाता से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में अधिशाषी अभियंता को कायदेशि जारी करने हेतु अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।	
10.	189.10	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-2/65 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-2/65 के आवंटी द्वारा भूखण्ड की नजराना राशि विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण निरस्त हुए आवंटन को विलम्ब अवधि के लिए देय ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर भूखण्ड का आवंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13
11.	189.11	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना डॉ. बी. आर. अम्बेडकर नगर, ग्राम गिरधारीपुरा, तहसील बस्सी को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किए जाने के पश्चात योजना के आवंटियों को जविप्रा की अन्य योजना में वैकल्पिक भूखण्ड दिए जाने के सम्बन्ध में।	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना डॉ. बी. आर. अम्बेडकर नगर, ग्राम गिरधारीपुरा, तहसील बस्सी को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किए जाने के पश्चात योजना के शेष रहे 893 भूखण्डधारियों को जविप्रा की अन्य योजना में वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में सैधान्तिक स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13ए
12.	189.12	एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 6318/11 जविप्रा बनाम विद्यावती कपूर बाबत भूखण्ड सं. ए-143 एवं ए-414, सिद्धार्थ नगर-ए का withdraw किये जाने के सम्बन्ध में।	उपायुक्त जोन-4 द्वारा यह अवगत कराया गया कि एजेण्डा के विषय में सहवन से ए-413 के स्थान पर ए-143 टंकित हो गया है। रिट याचिका जिस समय दायर की गई थी उस समय सिद्धार्थ नगर 'ए' योजना अनुमोदित नहीं थी। उक्त योजना को कालान्तर में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। इस कारण	उपायुक्त जोन-4


सचिव,


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6318/11 जविप्रा बनाम विद्यावती कपूर Infructuous हो जाने के कारण उक्त रिट याचिका को withdraw करने का निर्णय लिया गया।	
13.	189.13	प्राधिकरण में लेखा संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात प्राधिकरण में लेखा संवर्ग में पद एवं पदनाम रखे जाने के सम्बन्ध में निदेशक (वित्त) की राय प्राप्त करने के पश्चात आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्थगित करने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
14.	189.14	Ratification of NIB & Bid Document for Development of "BAGRANA Kachchi Basti" under Rajeev Awas Yojna, Agra Road Package: 1A & 1B.	विचार विमर्श पश्चात राजीव आवास योजना, आगरा रोड, पैकेज 1ए एवं 1बी, बगराना कच्ची बस्ती के विकास हेतु NIB & Bid Document को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
15.	189:15	श्री भवानी सिंह तवर को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति/सीधी भर्ती दिये जाने हेतु आयु, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कम्प्यूटर परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण में आयुक्त, जविप्रा द्वारा गठित समिति की अभिषंशानुसार एवं निदेशक (वित्त) की परीक्षण टिप्पणी के क्रम में कार्यकारी समिति द्वारा समग्र विचार विमर्श उपरान्त 1991 से जविप्रा में लगातार कार्यरत एवं वर्तमान में कनिष्ठ सहायक पद का मूल वेतन प्राप्त कर रहे श्री भवानी सिंह तवर को प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से एवं जविप्रा में इनके कार्य अनुभव को देखते हुए इन्हे कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती कोटा के जविप्रा में उपलब्ध रिक्त पद पर अधिकतम आयु, प्राधिकरण द्वारा	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			निर्धारित कम्प्यूटर परीक्षा एवं प्रतियोगिता परीक्षा की छूट देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में श्री तँवर द्वारा दायर याचिका वापिस लेने एवं उक्तानुसार सहमति की शर्त पर इन्हें नियमित नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	



(पवन अरोड़ा)

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 189वीं बैठक दिनांक 27.08.2014 को सांयकाल 05:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री शिखर अग्रवाल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र.स.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री शिखर अग्रवाल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री देवराज सिंह	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्रीमति लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री प्रताप मल केडिया	अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन)	पुलिस मुख्यालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री संजीव सचदेव	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री आर. एस. मीणा	महाप्रबन्धक-प्रथम	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
9.	श्री ललित शर्मा	निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10.	श्रीमति नलिनी कठोटिया	अति. आयुक्त (भूमि) निदेशक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री राजेन्द्र विजय	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री वी.एस. सुण्डा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री अरविन्द आर्य	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री मदन लाल चौधरी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री बी.डी. शर्मा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-चतुर्थ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री वेद प्रकाश वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री योगेश माथुर	अधिशाषी अभियन्ता (एच-3)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री महेश गोयल	अधिशाषी अभियन्ता (दक्षिण)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री सुनील व्यास	अधिशाषी अभियन्ता (दक्षिण)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री असलम शेर खान	उपायुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री सुभाष महरिया	उपायुक्त जोन-04	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्रीमति बिनिता सिंह	उपायुक्त जोन-08	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री बीरबल सिंह शेखावत	उपायुक्त जोन-13ए	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री प्रभात गोस्वामी	विशेषाधिकारी (पी.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

(पवन अरोड़ा)


सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प-2(ई.सी.189)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी-
प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है:-

दिनांक:

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान रियल्टी विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्टर, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी/भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



(पवन अरोड़ा)

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर